न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—124 / 2024

प्रार्थीः—

अमरा उर्फ डामराराम पुत्र लालाराम जाति पीटल निवासी ग्राम मेली तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. प्रबन्धक महोदय एस.बी.आई कृषि विकास शाखा सिवाना

<u>प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड शुद्धि अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियिम 1956</u>

उपस्थित :—

1. श्री जयप्रकाश रामदेव अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 17.07.25

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 238, 239, 240, 255, 256, 258, 259 कुल रकबा 14.6319 हैक्टेयर भूमि ग्राम मेली तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, व बैक खाता आदि में उसका वास्तविक नाम ''डामराराम पुत्र लालाराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''अमरा पुत्र लाला'' लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ. / 2024 / 2774 दिनांक 18.10.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, व बैक खाता आदि प्रस्तुत किये है. व प्र[illegible] पुत्र मानाराम के बयान कलमबद करवाये गये।

प्रार्थी अधिवक्ता की [illegible] गई।

दौराने बहस प्रार्थी के [illegible] किया है कि प्रार्थी का [illegible]विक नाम ''डामरा पुत्र लालाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''डामरा पुत्र लालाराम'' के स्थान पर ''अमरा पुत्र लाला'' लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:07:31 IST
Reason: SelfAttested

...र दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, व बैक खाता आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''डामरा पुत्र लालाराम'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''अमरा पुत्र लाला'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''डामरा पुत्र लालाराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मेली के खसरा संख्या 238, 239, 240, 255, 256, 258, 259 कुल रकबा 14.6319 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ''अमरा पुत्र लाला'' के स्थान पर ''अमरा उर्फ डामरा पुत्र लालाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। **प्रार्थी द्वारा रहन मुक्त का प्रमाण पत्र अथवा सम्बन्धित बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पश्चात्** ही तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:07:31 IST
Reason: SelfAttested